शासन-I 5/04

(प्रतिसंलग्न)

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक— 1865 /FP/UK/ROAD/28731/2017 :देहरादून:दिनांकः 27 जनवरी, 2020

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग—3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः—जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकासखण्ड डुण्डा के अन्तर्गत हरेती से जिनेथ होते हुए पटारा—स्यालना **मोटर मार्ग के किमी0** 3.50 के निर्माण हेतु 0.874 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण **विभाग को** प्रत्यावर्तन।

संदर्भः—वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 80/X-4-18/1(26)/2018 दिनांक 23—02—2018.

महोदय,

कृपया शासन के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे शासन **द्वारा विषयांकित** प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति **निर्गत** की गयी है। उक्त के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के पत्रांक **1335**/12—1 दिनांक 14—11—2018 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित **की गयी है,** जो निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः—

7. शर्त संख्या—1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस—पास रिक्त पडे स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख—रखाव हेतु देय धनराशि रू0 14,62,394.00 मात्र ऑनलाईन के माध्यम से सम्बन्धित कोष में जमा की जा चुकी है।
8. शर्त संख्या—2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 5,74,218.00 मात्र ऑनलाईन के माध्यम से सम्बन्धित कोष में जमा की जा चुकी है।
9. शर्त संख्या—3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की बचनबद्धता का प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक—1)**
10. शर्त संख्या—4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रू0 20,36,612.50 के रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक—2)**
11. शर्त संख्या—6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू:वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक—3)**
12. शर्त संख्या—7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित वनाधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। **(संलग्नक—4)**

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में शासन द्वारा विधिवत स्वीकृति/शासनादेश निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नः—यथोपरि

भवदीय,
27/1/20
(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :— 1865 / FP/UK/ROAD/28731/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।

27/1/20
(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

Desktop\S daily work

(प्रतिसंलग्न)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक- 1355 / 12-1, कोटबंगला दिनांक 14 / 11 /2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड डुण्डा के अन्तर्गत हरेती से जिनेथ होते हुए पटन्नारा–स्यालना मोटर मार्ग (ल0 3.50 कि0मी0) के निर्माण हेतु 0.874 है0 वन भूमि का गैर वानकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/28731/2017

सन्दर्भ :- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, उत्तरकाशी का पत्र सं0– 4067 / वन भूमि, दिनांक 30.10.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रकरण पर प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 से 8 तक की सभी शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

क्र0 स0	शर्तों / प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा प्रस्तावित स्थल के दोनो ओर रिक्त पडे स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 14,62,394.50 (चौदह लाख बासठ हजार तीन सौ चौरानब्बे रू0 मात्र) की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा 0.874 है0 के बदले एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 5,74,218.00 (पांच लाख चौहत्तर हजार दो सौ अठारह रू0 मात्र) वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा समस्त निर्धारित शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस0बी0–25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा देय धनराशि NEFT/RTGS चालान के माध्यम से Coporation Bank, Lodhi complex Branch, block 11, CGO complex, Phase-1, Lodhi road New Delhi- 11003 के अन्तर्गत UTTARANCHAL CAMPA के खाता संख्या– 150896128731741, IFSC CODE-

श्री ओ0डी0 सिंह
आ0नो0 केर
20/11
प्र0 अ0सं0 / नो0अ0
20/11/18

C:\Users\Ganpati Enterprises\Desktop\DraftMan rail\Letter\CCE nodal officer.doc

	सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	COR0000371 में रु0 2036612.50 जमा कर दी गयी है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र वन भूमि हस्तानन्तरण प्रस्ताव में दिया गया है कि प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किया जायेगा।
6	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम–2006 मे निहित प्रावधानों अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेखों/प्रपत्रों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा आवश्यक अभिलेखों/प्रपत्रों को पूर्व में ही प्रस्ताव के साथ ऑन–लाईन कर दिया गया है।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा समस्त निर्धारित शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
8	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्त एजेंसी सहमत है।

अतः अनुरोध है, कि विषयगत प्रकरण पत्र पर विधिवत स्वीकृति निर्गत करवाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक :– अनुपालन आख्या।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, उत्तरकाशी अनुपालन आख्या अपने स्तर से नोडल अधिकारी कार्यालय में ऑनलाइन अपलोड करने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

C:\Users\Ganpati Enterprises\Desktop\DraftMan rail letter\CCE nodal officer.doc

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी
Fax No-01374-222108
Tel.No- 01374-222108
E.Mail. eepduki.pwduk@gov.in

पत्रांक / दिनांक /2018 30/10/18

सेवा मे,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।

विषय :- **जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत हरेती से जिनेथ होते हुए पटारा-स्यालना मोटर मार्ग के किमी0 3.50 के निर्माण हेतु 0.874 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध मे (ऑनलाइन प्रपोजल नं0 FP/UK/ROAD/28731/2017)**

सन्दर्भ :- अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रसं0- 80 (1)/X-4-18/1(26)/2018 दिनांक 23-02-2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे उत्तराखण्ड सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विषयगत वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र मे उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :-

क्र0सं0	शर्तों / प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन मे प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु रू0 1462394.50 की धनराशि वन विभाग के पक्ष मे जमा कर दी गयी है (संलग्नक 1, 2 व 3)।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0- 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू0 574218.00 एन0पी0वी0 की धनराशि वन विभाग के पक्ष मे जमा कर दी गयी है (संलग्नक 1, 2 व 3)।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर मे बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा	इस शर्त के अनुपालन मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आशय का प्रमाण पत्र दिया गया है। कि यदि भविष्य मे माननीय उच्चतम् न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0

प्रभारी उत्तरकाशी रे0 का0 करें।
उप0 व0 क्षे0 ... 5/11/18

Ro-23-2-18

	जमा की जायेगी।	की वर्तमान दरों मे कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष मे कर दिया जायेगा, प्रमाण पत्र पूर्व मे ही प्रस्ताव के साथ ऑनलाईन कर दिया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु छाया प्रति सलग्न है (संलग्नक 4)।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रसं0– 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधा रोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या– एस0बी0–25229, कार्पोरेशन बैंक, (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक 11 भूतल सी0जी0ओ0 कॉम्पलेक्स, फेज–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली 110003 मे जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ मे अनुपालन आख्या (जिसमे जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षोरोपण, प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	इस शर्त के अनुपालन मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिये गये डिमांड नोट के आधार पर NEFT/RTGS चालान के माध्यम से Corporation Bank, Lodhi complex Branch, block 11, CGO complex, Phase- 1, Lodhi road New Delhi- 11003 के अन्तर्गत UTTARANCHAL CAMPA के खाता संख्या– 150896128731741, IFSC CODE-CORP0000371 मे रू0 2036612.50 जमा कर दी गयी है (संलग्नक 1, 2)।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भूवैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया है, कि प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भूवैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा (संलग्नक 5, 6)।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम् 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	इस शर्त के अनुपालन मे प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम् 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को पूर्व मे ही प्रस्ताव मे ऑनलाईन कर दिया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक 7क 7ण कुल 10)।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव मे निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन न होने अथवा असन्तोषजनक अनुपालन होने की स्थिति मे वन एवं पर्यावरण विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	इस शर्त के अनुपालन मे प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा समस्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम् 1980 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति/वनभूमि प्रत्यावर्तन के औपचारिक शासनादेश निर्गत करवाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार 01 से 07 ।

भवदीय

(इं0 वीरेन्द्र सिंह पुण्डीर)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
उत्तरकाशी।

4067/वनस्वी 30/10/18

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सहायक अभियन्ता प्रथम/चतुर्थ, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

30/10/18

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
उत्तरकाशी।

संलग्नक–1

कार्य का नाम :– जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत हरेती से जिनेथ होते हुए पटारा–स्यालना मोटर मार्ग के किमी0 3.50 के निर्माण हेतु 0.874 है0 वनभूमि / सिविल भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

एन0पी0वी0 की देयता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्चतम् न्यायालय / भारत सरकार द्वारा भविष्य मे एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों मे यदि कोई वृद्धि की जाती है तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी के द्वारा बढ़ी हुई / अन्तरीय एन0पी0वी0 की धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष मे किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
उत्तरकाशी।

संलग्नक - 2

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 25-09-2018

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER PD PWD UTTARKASHI
Application No.	6128731741
MoEF/SG File No.	1(26)/2018
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PD PWD UTTARKASHI NEAR VISWANATH CHOWKUttarkashi
Amount(in Rs)	2036612.5/-

Amount in Words :Twenty Lakh Thirty-Six Thousand Six Hundred and Twelve Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896128731741 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 25-09-2018

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER PD PWD UTTARKASHI
Application No.	6128731741
MoEF/SG File No.	1(26)/2018
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PD PWD UTTARKASHI NEAR VISWANATH CHOWK Uttarkashi
Amount(in Rs)	2036612.5/-

Amount in Words :Twenty Lakh Thirty-Six Thousand Six Hundred and Twelve Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896128731741 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

संलग्नक-②

Core Treasury System (CTS UK)

E-Cheque Advise

Government Of Uttarakhand

e ChequeID :CO4100103409180007 Date :25-SEP-18

Div Code	: 1034	**Division Name**	:	Provincial Division P W D
Grant No.	: PAC	**Scheme**	:	5054043370304 NV
Code	: OP4100423300549	**Name**	:	Uttaranchal Campa Na
Project Name	: N P B PROJECTS PAYMENTS (PV)(5054048000307)			

ALLOTED AMT : 71514576 EXPENDITURE AMT : 51288937 REMAINING AMT : 20225639

To,

CTO/Sr.TO/TO/STO

Uttarkashi

lease pay to Uttaranchal Campa Na

orporation Bank IFSC Code CORP0000371 Account No. 150896128731741 as per detail below.

1.	In Contractor Bank A/C	**2036612.00**
2.	**Payment on A/C of following (Through book transfer)**	0.00
2.1	Income Tax -TDS (865800112000000) :	2036612.00
	Net :	

Amount in words : (Rs. Twenty Lac Thirty-Six Thousand Six Hundred Twelve Only.)

Note: Detail given above is checked by me personally and is correct.

Signature with Seal

Divisional Accountant Provincial Division P W D Uttarkashi

DAO/Sr.DAO Provincial Division P.W.D. Uttarkashi

Signature with Seal

22.9.18

Executive Engineer PD PWDUttarkashi

For Treasury Use

ID :CO4100103409180007 Date :25-SEP-18

Voucher No.

Voucher Date. / /

Payment Id :

Passed Amount Rs. : 2036612.00

Amount in words : (Rs. Twenty Lac Thirty-Six Thousand Six Hundred Twelve Only.)

Bank Amount Rs. : 2036612.00 Amount By TC Rs. : 0.00

Accountant Signature ATO Signature CTO/Sr.TO/TO/STO Signature

सलंग्नक-(3)

परियोजना का नाम – राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास – खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत हरेती से जिनेथ होते हुए पटारा स्यालना मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई –3.50 किमी0) हेतु 0.874 है0 सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भू– वैज्ञानिक / जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू–वैज्ञानिक / जिला टास्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों / षर्तो का निर्माण कार्य के दौरान याचक विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0खण्ड लो0नि0वि0
उत्तरकाशी

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्डलो0नि0वि0
उत्तरकाशी

सं0का0व0/ ...8

संलग्नक–③

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, [illegible]

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374222964 Tel.No- 0137[illegible]

पत्रांक 15[illegible] /12-1(2) कोटबंगला दिनांक 07/07/2018

Dy. no – [illegible]
Date – 10/7/[illegible]

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
उत्तरकाशी।

विषय :– जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत हरेती से जिनेथ होते हुए पटारा–स्यालना मोटर मार्ग [illegible] हेतु 0.874 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं0–80/X–4–18/1(...). [illegible] दिनांक 23.02.2018 तथा आपका पत्रांक–2225/वन भूमि दिनांक 20.06.2018।

महोदय,

अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत [illegible] निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। शासनादेश में उल्लेखित शर्त सं0–1 के अनुसार [illegible] रिक्त पड़े स्थानों पर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्र सं0–972/3–5–2 दिनांक 21.11.[illegible] उल्लेखित निर्धारित दर के अनुसार वर्ष 2018–19 के लिए निर्धारित धनराशि तथा शर्त सं0–2 [illegible] एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि निम्नानुसार (Challan Generate) कर ऑनलाइन नोडल अधिकारी [illegible] में जमा करने के उपरान्त जमा धनराशि का चालान सहित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करा[illegible] करें। इसके अतिरिक्त शासनादेश में उल्लेखित सभी शर्तो की अनुपालन आंख्या भी इस कार्यालय [illegible] करना सुनिश्चित करें।

क्र0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	मार्ग के रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु।	3.50 कि0मी0	4,17,827.00	14,62,394.50
2	एन0पी0वी0	0.874 हे0	घनत्व–0.1 दर– 6,57,000.00	5,74,218.00
				2036612.50

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्द्रानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखंण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

स०अ०/व०म० 10/7/18

... अभियन्ता मुख्यालय को मांग सूचित करें।
9/7/18